



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 124348

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत अर्जी संख्या - 18907 वर्ष 2026

राजकुमार उर्फ कल्लू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: अजिताभ कुमार चौबे, अंकित शर्मा, ब्रज भूषण राय, विशाल सिंह

प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री अंकित शर्मा और राज्य की ओर से ए.जी.ए.. श्री अमित कुमार दुबे की बातें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह ज़मानत अर्ज़ी मुकदमा अपराध संख्या 402/2024 (पुलिस स्टेशन रसरा, ज़िला बलिया) में विचारण चलने के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की मांग के साथ दायर की गई है। यह मुकदमा बीएनएस की धारा 65(2), 351(3), पॉक्सो एक्ट की धारा 5एम/6 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत दर्ज है।

3. सबसे पहले, विद्वान ए.जी.ए.. ने बताया कि शिकायतकर्ता को नोटिस भेज दिया गया है।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि यह आवेदक की दूसरी ज़मानत अर्ज़ी है और उनकी पहली ज़मानत अर्ज़ी 5.12.2024 को मेरिट के आधार पर खारिज कर दी गई थी; हालाँकि, पहली ज़मानत अर्ज़ी खारिज होने के बाद, सह-आरोपी अमित कुमार को इस न्यायालय की एक समान बेंच ने ज़मानत दे दी है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फँसाया गया है, जबकि उनके खिलाफ कोई भी दोषी ठहराने वाला सबूत नहीं है और वे 15.8.2024 से जेल में बंद हैं। साथ ही, निकट भविष्य में विचारण पूरा होने की संभावना नहीं है क्योंकि अब तक किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं हुई है, जैसा कि पहले दाखिल किए गए सप्लीमेंट्री हलफनामे के साथ संलग्न ऑर्डर शीट की सर्टिफाइड कॉपी से स्पष्ट है। यह भी कहा गया है कि अगर आवेदक को ज़मानत दी जाती है, तो वे ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए.. ने ज़मानत की अर्ज़ी का ज़ोरदार विरोध किया, लेकिन ऊपर बताई गई बातों को चुनौती नहीं दे सके।
6. आवेदक की ज़मानत की पहली अर्ज़ी 5.12.2024 को खारिज कर दी गई थी और अब तक किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है।
7. आवेदक की लंबी जेल की सज़ा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक उद्देश्य, मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, सबूतों और आरोपी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए; साथ ही जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में आपराधिक मामलों के भारी बोझ को देखते हुए; और **कपिल वधावन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765)** मामले में इस न्यायालय की ज़मानत देने से जुड़ी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए—और मामले के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना—मेरी राय है कि आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।
8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. अर्जी देने वाले - **राजकुमार उर्फ कल्लू**, जो ऊपर बताए गए अपराध में शामिल है, को ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके लिए उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही रकम का एक पर्सनल बॉन्ड और दो ज़मानतदार देने होंगे, साथ ही ये शर्तें भी माननी होंगी:-

(i) अर्जी देने वाला व्यक्ति, केस की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देगा, जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को वे तथ्य बताने से रुके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) ज़मानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा भरे गए बॉन्ड की शर्तों के अनुसार पेश होगा।

10. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

11. बॉन्ड स्वीकार करने से पहले, संबंधित न्यायालय को आवेदक और ज़मानत देने वालों की पहचान, स्टेटस और निवास के प्रमाण की पुष्टि करनी चाहिए। न्यायालय को आवेदक और ज़मानत देने वालों के मोबाइल संख्या और आधार कार्ड की भी पुष्टि करनी चाहिए।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए विचारण न्यायालय को संबंधित जेल में 'बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम' (बीओएमएस) के ज़रिए रिहाई का आदेश भेजना चाहिए।

13. सर्वोच्च न्यायालय के 'ज़मानत देने की पॉलिसी स्ट्रैटेजी' (इन रे: सुओ मोटो रिट पिटीशन (सीआरएल.) संख्या 4/2021, फैसला 31.01.2023, रिपोर्ट (2024) 10 एससीसी 685) वाले मामले में दिए गए आदेश का पालन करते हुए, ऑफिस को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक कॉपी संबंधित जेल सुपरिटेंडेंट के ज़रिए ईमेल या ई-प्रिज़न पोर्टल से 24 घंटे के अंदर आवेदक को भेजे।

1 जून, 2026

अभिषेक

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।